

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.05.2024*

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 222/2024 धारा 307, 504, 506, 120बी भादवि के मामले में वाँछित 02 नफर अभियुक्तगण 1. शिवप्रकाश अग्रहरि पुत्र स्व0 सजनलाल अग्रहरि 2. कैलाश अग्रहरि उर्फ कैलाशचन्द्र दास पुत्र शिवप्रकाश अग्रहरि निवासीगण मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 21.05.2024 को ग्राम नोक्ता नहर पुलिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- विदित हो कि दिनांक 21.05.2024 को थाना महुली अन्तर्गत मुखलिसपुर में आपसी विवाद के प्रकरण में गोली चली थी। वादी के तहरीर के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर मु0अ0सं0 222/2024 धारा 307, 504, 506, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 21.05.2024 को उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 चन्द्रभूषण चौहान, का0 जितेन्द्र कुमार सोनी।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.05.2024

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 26 वाहनों से 27000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 26 वाहनों से 27000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।